राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1298/2013/बीकानेर

मैसर्स नरेश कुमार गोयल कॉन्टेक्टर
बीकानेर

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स,बीकानेर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित

श्री एस.एन.शाह
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 16.06.2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) अपील संख्या 78/आरवैट/बीकानेर/2012–13 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदार है। अपीलार्थी व्यवहारी को आवटित कार्य "**Const. for providing laying jointing testing and commissioning of distribution network inculding const. of pump house,RCC clear water reservior,over head service reservoir and allied works n police housing campus, Bikaner"** के सम्बन्ध में ई सी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी ने 1.5प्रतिशत से ई सी जारी किया गया। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः जांच करने पर पाया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 के अनुसार उक्त संविदा कार्य के लिए मुक्ति शुल्क 3 प्रतिशत की श्रेणी में आता है। अतः इस सम्बन्ध में ई सी को संशोधित करने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किये गये एवं न्यायिक दृष्टान्त पर विचार करने के पश्चात उसे अस्वीकार करते हुए पूर्व में जारी मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र संख्या 2995/47 दिनांक 25.09.2009 में अंकित 1.5 प्रतिशत में संशोधित करते हुए 3 प्रतिशत निर्धारित की गयी,जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 3 प्रतिशत से ई सी शुल्क सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2013 पारित कर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी। अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2013 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी को आवंटित ठेका कार्य के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी से मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र चाहने हेतु आवेदन किया गया था, जिस पर पूर्ण विचार करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने 1.5 प्रतिशत से ई सी प्रमाण पत्र 2995/47 दिनांक 25.09.2009 जारी किया था। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बाद में उसमें संशोधन करने हेतु नोटिस जारी किया,जिसके जवाब में विस्तृत तर्क देते हुए कथन किया गया था कि उक्त कार्यवाही संशोधन की परिधि में नहीं आती है तथा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता है। उनका कथन है कि उक्त कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी,बीकानेर के निर्णय पारित निर्णय को उद्धृत किया था,जिस पर विचार किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी ने जारी मुक्ति प्रमाण पत्र को संशोधन करते हुए ई.सी.1.5 के स्थान पर 3 प्रतिशत से कर दी, जो अविधिक है। उन्होने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्त की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अविधिक है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नम्बर 3414, 3415, 3416/1982 एवं रिट पिटीशन (सिविल) नम्बर 3600 व 3601/1983 बिरडा सीमेन्ट वर्क्स बनाम स्टेट आफ राजस्थान एवं जे.के.सिन्थेटिक्स लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी में पारित निर्णय दिनांक 09..05.1994 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन नम्बर 11/1991 वाणिज्यिक कर अधिकारी,विशेष वृत,भरतपुर बनाम डालमिया डेयरी उद्योग में पारित निर्णय दिनांक 21.09.1993 को न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों में आलौच्य अवधि के संविदा कार्यों की प्रकृति वाटर/स्टोरेज टैंक निर्माण, सिविल निर्माण कार्य, सिविल कार्य, उच्च जलाशय चिनाई, बिल्डिंग एवं चिनाई कार्य अंकित किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन कार्यों को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के आईटम नं0 2 व 3 के अन्तर्गत आना मानते हुए इन पर 1.5 प्रतिशत मुक्ति शुल्क देयता के प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को अवार्डेड संकर्म संविदा कार्यों के 'जी' शिड्यूल का अवलोकन करने के बाद संविदा कार्य केवल स्टोरेज/वाटर टैंक निर्माण, सिविल, बिल्डिंग जलाशय व चिनाई के कार्य न होकर पाईप लाईन आपूर्ति, बिछाने व जोड़ने, सी.आई.फिटिंग पाईप जोड़ना, पम्प सैट की आपूर्ति व स्थापना, रेपिड ग्रेविटी फिल्टर प्लान्ट (नॉन मैकेनिकल) का निर्माण, सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प की सप्लाई व स्थापना आदि से संबंधित कार्य भी सम्मिलित होने के कारण इन कार्यों को अधिसूचना दिनांक 11.08.06 के आईटम नं0 4 के अन्तर्गत आना मानकर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क देयता हेतु जारी किये गये संशोधित आदेश दिनांक 01.12.2011 पूर्णतया विधिसम्मत है। उपायुक्त (अपील्स) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के संविदा कार्यों के 'जी'

शिड्यूल का समुचित रूप से अवलोकन करने के पश्चात अपीलार्थी व्यवहारी के सम्पूर्ण संविदा कार्यों के सिविल वर्क्स यथा भवन, रोड़, ब्रिज, डेम, केनाल सिवरेज सिस्टम से सम्बन्धित होना मानकर इन कार्यों हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मुक्ति शुल्क की देयता 3 प्रतिशत की दर से निर्धारित करते करने को विधिक मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2013 पारित किया है जो उचित है । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में क बोर्ड द्वारा अपील संख्या 2197/2008/श्रीगंगानगर वाणिज्यिक कर अधिकारी,वर्क्स टैक्स, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स नरेश कुमार गोयल कॉन्ट्रेक्टर,घडसाना वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2010 को उद्धरित करते हुए अपीलीय अधिकारी को आदेश को यथावत रखते हुए अपीलाथी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस एवं माननीय न्यायालयों के प्रस्तुत निर्णय का भी ससम्मान अध्ययन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 2197/2008/श्रीगंगानगर वाणिज्यिक कर अधिकारी,वर्क्स टैक्स, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स नरेश कुमार गोयल कॉन्ट्रेक्टर,घडसाना वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2010 एवं बहस के दौरान उद्धरित न्यायिक दृष्टों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त संविदा कार्यों हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के तहत मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्रपत्र WT-1 में संविदा कार्यों की प्रकृति 'स्टोरेज/वाटर टैंक निर्माण, सिविल, बिल्डिंग, निर्माण एवं जलाशय व चिनाई के कार्य' अंकित करते हुए आवेदन पत्र कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के संविदा कार्यों को अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के आईटम संख्या 2 व 3 की श्रेणी में आना मानते हुए मुक्ति शुल्क 1.5 प्रतिशत की दर से देय मानकर कुल संविदा कार्यों की राशि पर 1.5 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क निर्धारित करने के मुक्ति प्रमाण पत्र (प्रपत्र WT-3) जारी किया गया। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के संविदा कार्यों के 'जी' शिड्यूल के अनुसार सभी संविदा कार्यों की प्रकृति को देखते हुए इनके सम्पूर्ण कार्य स्टोरेज/वाटर टैंक, सिविल/बिल्डिंग निर्माण एवं जलाशय चिनाई तथा प्लान्ट व मशीनरी स्थापना से संबंधित न होकर नॉन मैकेनिकल रेपिड ग्रेविटी फिल्टर प्लान्ट का निर्माण, सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प व पम्प सैट की आपूर्ति व स्थापना तथा पाईप लाईन एवं सी.आई. फिटिंग पाईप की आपूर्ति, बिछाने व जोड़ने के भिन्न—भिन्न कार्यों के अविभाज्य संविदा कार्य होने के कारण इन संविदा कार्यों के अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के आईटम संख्या 4 के अन्तर्गत आने के कारण इन कार्यों की सम्पूर्ण राशि पर मुक्ति शुल्क 3 प्रतिशत की दर से देय होना मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 33 सपठित अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के तहत अपीलार्थी व्यवहारी को पूर्व में जारी मुक्ति प्रमाण पत्र को संशोधित किया जाकर मुक्ति शुल्क की 3 प्रतिशत की दर से देयता निर्धारित करने के संशोधित आदेश दिनांक 01.12.2011 को जारी किया गया हैं।

इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के मुक्ति प्रमाण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित संविदा कार्य की प्रकृति के विवरण के आधार पर अपीलाथीव्यवहारी के संविदा कार्य अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के आईटम संख्या 2 व 3 के अन्तर्गत आना मानते हुए मुक्ति शुल्क की देयता 1.5 प्रतिशत की दर से निर्धारित करने के मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी व्यवहारी के संकर्म संविदा कार्यो के 'जी' शिड्यूल के अवलोकन के बाद इन कार्यों की प्रकृति अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित निर्माण कार्य की प्रकृति से भिन्न पाये जाने की स्थिति में रेकार्ड पर प्रथम दृष्टया परिलक्षित उक्त त्रुटि को सुधारने हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वेट अधिनियम की धारा 33 सपठित अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत अपीलार्थी व्यवहारी को पूर्व में जारी किये गये मुक्ति प्रमाण पत्र में संशोधन करते हुए अपीलाथी व्यवहारी के संविदा कार्यों की प्रकृति के आधार पर इन पर अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क देयता होने के कारण 3 प्रतिशत की दर से संशोधित मुक्ति शुल्क निर्धारित करने के आदेश दिनांक 01.12.2011 को पारित किया गया हैंजो कि विधि सम्मत है तथा सम्बन्धित अवार्डर को तद्नुसार मुक्ति शुल्क वसूली हेतु पत्र द्वारा सूचित किया गया है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र में संशोधन अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.05.2010 में संशोधन करते हुए संशोधित आदेश दिनांक 01.12.2011 में राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2197/2008/श्रीगंगानगर वाणिज्यिक कर अधिकारी,वर्क्स टैक्स, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स नरेश कुमार गोयल कॉन्ट्रेक्टर,घडसाना वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2010 के आधार पर किया गया है,जिसके सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :—

"इन प्रकरणों में प्रत्यर्थी व्यवहारीगण को अधिशाषी/अधीक्षक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अनूपगढ़, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ द्वारा संकर्म संविदा कार्य अवार्ड किये गये। प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा उक्त संविदा कार्यों हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के तहत मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्रपत्र WT-1 में संविदा कार्यों की प्रकृति 'स्टोरेज/वाटर टैंक निर्माण, सिविल, बिल्डिंग, निर्माण एवं जलाशय व चिनाई के कार्य' अंकित करते हुए आवेदन पत्र कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किये गये। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारीगण के संविदा कार्यों को अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के आईटम संख्या 2 व 3 की श्रेणी में आना मानते हुए मुक्ति शुल्क 1.5 अथवा 2.25 प्रतिशत की दर से देय मानकर कुल संविदा कार्यों की राशि पर 1.5 अथवा 2.25 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क निर्धारित करने के मुक्ति प्रमाण पत्र (प्रपत्र WT-3) जारी किये गये। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारीगण के संविदा कार्यों के 'जी' शिड्यूल के अनुसार सभी संविदा कार्यों की प्रकृति को देखते हुए इनके सम्पूर्ण कार्य स्टोरेज/वाटर टैंक, सिविल/बिल्डिंग निर्माण एवं जलाशय चिनाई तथा प्लान्ट व

मशीनरी स्थापना से संबंधित न होकर नॉन मैकेनिकल रेपिड ग्रेविटी फिल्टर प्लान्ट का निर्माण, सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प व पम्प सैट की आपूर्ति व स्थापना तथा पाईप लाईन एवं सी. आई. फिटिंग पाईप की आपूर्ति, बिछाने व जोड़ने के भिन्न–भिन्न कार्यों के अविभाज्य संविदा कार्य होने के कारण इन संविदा कार्यों के अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के आईटम संख्या 4 के अन्तर्गत आने के कारण इन कार्यों की सम्पूर्ण राशि पर मुक्ति शुल्क 3 प्रतिशत की दर से देय होना मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 33 सपठित अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के तहत व्यवहारी को पूर्व में जारी मुक्ति प्रमाण पत्रों को संशोधित किया जाकर मुक्ति शुल्क की 3 प्रतिशत की दर से देयता निर्धारित करने के संशोधित आदेश दिनांक 15.2.2008 को जारी किये गये हैं।

इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारीगण के मुक्ति प्रमाण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित संविदा कार्य की प्रकृति के विवरण के आधार पर व्यवहारीगण के संविदा कार्य अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के आईटम संख्या 2 व 3 के अन्तर्गत आना मानते हुए मुक्ति शुल्क की देयता 1.5 अथवा 2.25 प्रतिशत की दर से निर्धारित करने के मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये। तत्पश्चात प्रत्यर्थी व्यवहारी के संकर्म संविदा कार्यो के 'जी' शिड्यूल के अवलोकन के बाद इन कार्यों की प्रकृति प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित निर्माण कार्य की प्रकृति से भिन्न पाये जाने की स्थिति में रेकार्ड पर प्रथम दृष्टया परिलक्षित उक्त त्रुटि को सुधारने हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वेट अधिनियम की धारा 33 सपठित अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत व्यवहारीगण को पूर्व में जारी किये गये मुक्ति प्रमाण पत्रों में संशोधन करते हुए व्यवहारीगण के संविदा कार्यों की प्रकृति के आधार पर इन पर अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क देयता होने के कारण 3 प्रतिशत की दर से संशोधित मुक्ति शुल्क निर्धारित करने के आदेश दिनांक 15.2.2008 को पारित किये गये हैं तथा सम्बन्धित अवार्डर को तद्नुसार मुक्ति शुल्क वसूली हेतु पत्र द्वारा सूचित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा उद्धरित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 20 वी.एस.टी. 483 (इला.) के प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित मूल कर निर्धारण आदेश में विस्तृत विनिश्चयन के बाद व्यवहारी के कोयला परिवहन की राशि उसके पण्यावर्त का भाग नहीं होना मानने के बाद उसी सामग्री (material) के आधार पर मत परिवर्तन करते हुए परिवहन राशि के पण्यावर्त का भाग मानते हुए इस पर उत्तरप्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 21 के तहत करारोपण को अपास्त करने सम्बन्धी कराधिकरण (Tribunal) के आदेश को उचित माना गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2000) 7 एस टी टी 84 के प्रकरण में राजस्थान सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा अपील संख्या 32/86 में व्यवहारी को कच्चा माल घोषणा प्रपत्र एस टी 17 पर रियायती दर से खरीदने हेतु पात्र नहीं होने सम्बन्धी निर्णय की जानकारी होने एवं उक्त निर्णय के गुणावगुण के प्रभाव के आंकलन के पश्चात पारित अपील संख्या 22/91 के निर्णय में

रेकार्ड पर परिलक्षित प्रथम दृष्टया त्रुटि नहीं होना मानकर उक्त निर्णय को राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1954 की धारा 17 के तहत संशोधित करने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने के ट्रिब्यूनल के निर्णय की पुष्टि की गई है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 1 आर टी आर 486 के प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपलब्ध रेकार्ड एवं माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के अभिनिर्णय के आधार पर व्यवहारी की मशीनरी की बिक्री पर अधिसूचना दिनांक 6.12.1990 के तहत बिक्री कर में छूट प्रदान करने के सचेतन मस्तिष्क से पारित कर निर्धारण आदेश को राज. बिक्री कर अधिनियम 1994 की धारा 37 के तहत संशोधन के प्रयोजनार्थ रेकार्ड पर परिलक्षित भूल नहीं माना गया है। कर बोर्ड की एकलपीठ के अपील संख्या 2052/2008/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 14.7.2009 से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य भी वर्तमान प्रकरणों के तथ्यों से भिन्न हैं।

इस प्रकार विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा उद्धरित किये गये माननीय उच्च न्यायालयों एवं माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ व एकलपीठ के उक्त न्यायिक निर्णयों के तथ्य वर्तमान प्रकरणों के तथ्यों से पूर्णतया भिन्न होने के कारण इन निर्णयों में प्रतिपादित अभिमत वर्तमान प्रकरणों में लागू नहीं होता है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारीगण को उनके मुक्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों में अंकित संविदा कार्यों की प्रकृति के आधार पर जारी किये गये पूर्व के मुक्ति प्रमाण पत्रों को same material अथवा facts पर मत भिन्नता के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधित करते हुए पुनः मुक्ति प्रमाण पत्र दिनांक 15.2.2008 जारी नहीं किये गये हैं, बल्कि प्रत्यर्थी व्यवहारीगण को अवार्डेड संकर्म संविदा कार्यों के 'जी' शिड्यूल के अनुसार इन कार्यों की प्रकृति सिविल कार्यों के साथ–साथ नॉन मैकेनिकल फिल्टर प्लांट निर्माण व पम्प सैट तथा पाईप लाईन आपूर्ति, बिछाने व जोड़ने आदि के अविभाज्य संविदा कार्य होने के आधार पर इन कार्यों हेतु अधिसूचना दिनांक 11.08.06 के अनुरूप मुक्ति शुल्क की देयता का सही निर्धारण करने हेतु पूर्व आदेशों की रिकॉर्ड की प्रथम दृष्टया परिलक्षित त्रुटि को सुधारने हेतु अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारीगण के संकर्म संविदा कार्यों की 'जी' शिड्यूल के अनुसार कार्यों की प्रकृति को देखते हुए पूर्व आदेशों की प्रथम दृष्ट्या रिकॉर्ड पर परिलक्षित त्रुटि (mistake apparent from record) को सुधारने हेतु वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित किये गये संशोधित आदेश दिनांक 15.2.2008 पूर्णतया विधिसम्मत एवं उचित है।

ऐसी स्थिति में उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के संशोधित आदेश दिनांक 15.2.2008 को same material एवं facts पर राय परिवर्तन के आधार पर पारित किया जाना एवं प्रत्यर्थी व्यवहारीगण के सम्पूर्ण संविदा

कार्यों को भवन, रोड़, ब्रिज, डेम, केनाल, सिवरेज सिस्टम निर्माण से संबंधित मानकर कर निर्धारण अधिकारी के इन पर मुक्ति शुल्क की 3 प्रतिशत की दर से दायित्व मानते हुए अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित संशोधित आदेश दिनांक 15.2.2008 से सृजित अतिरिक्त मुक्ति शुल्क की राशि को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। अतः उपायुक्त (अपील्स) का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.8.2008 विधिसम्मत एवं न्यायसंगत नहीं होने से अपास्त योग्य है ।

परिणामतः राजस्व की अपीलें स्वीकार करते हुए उपायुक्त (अपील्स) का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.8.2008 अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी के अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित संशोधित आदेश दिनांक 15.2.2008 को बहाल रखते हुए इन आदेशों से सृजित अतिरिक्त मुक्ति शुल्क की पुष्टि की जाती है।"

अपीलार्थी व्यवहारी के संकर्म संविदा कार्यो के 'जी' शिड्यूल के अवलोकन के बाद इन कार्यों की प्रकृति अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित निर्माण कार्य की प्रकृति से भिन्न पाये जाने की स्थिति में रेकार्ड पर प्रथम दृष्टया परिलक्षित उक्त त्रुटि को सुधारने हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वेट अधिनियम की धारा 33 सपठित अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत अपीलार्थी व्यवहारी को पूर्व में जारी किये गये मुक्ति प्रमाण पत्र में संशोधन करते हुए अपीलाथी व्यवहारी के संविदा कार्यों की प्रकृति के आधार पर इन पर अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के तहत 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क देयता होने के कारण 3 प्रतिशत की दर से संशोधित मुक्ति शुल्क निर्धारित करने के आदेश दिनांक 01.12.2011 को पारित किया गया हैंजो कि विधि सम्मत है।

हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में अपने सचेतन मस्तिष्क से लिए गए निर्णय की मूल भावना के विपरीत जाकर कोई संशोधन नहीं किया है, वरन् केवल एक रिकार्ड से परिलिक्षित प्रत्यक्ष भूल को सुधारने हेतु संशोधित आदेश पारित किया है। अतः प्रकरण में कर निर्धारण आदेश में सृजित अतिरिक्त मुक्ति शुल्क की पुष्टि जाती है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील मेमोरेण्डम फार्म वैट–29 में अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 20,000/–को विवादित किया गया है, जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश में उक्त शास्ति को अपास्त किया गया है और शास्ति अपास्त किये जाने के विरूद्ध विभाग द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है, इसलिए शास्ति के बिन्दु पर यह पीठ कोई निष्कर्ष अवधारित नहीं करती है। इसी पीठ द्वारा समान अपीलार्थी व्यवहारी की ही अपील संख्या 898/2013/बीकानेर में विस्तृत निर्णय दिनांक 04.02.2014 पारित किया गया है, जिसके तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से समानता रखते है, अतः हस्तगत प्रकरण उद्धरित निर्णय से आच्छादित होने के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.02.2013 की पुष्टि की जाकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य